**धारा 152 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र**

**(Application u/sec. 152 CPC)**

न्यायालय .......

वाद नंबर ............ सन् .......

अ०ब० स० ............ वादी

**बनाम**

स० द० फ० ............ प्रतिवादी

प्राथीं निम्न प्रकार सविनय निवेदन करता है :--

1. यह कि प्रार्थी/वादी द्वारा इस मान्य न्यायालय में कब्जा दिलाने हेतु वाद नंबर ........... सन् ............ ABC बनाम CDF दायर किया गया था। जो दिनांक ............ को आज्ञात हुआ था।

2. यह कि भूलवश, गल्ती से डिक्री में दर्शाई गई सम्पत्ति का विवरण वह नहीं है जो कि उपरोक्त वाद पत्र में दर्ज किया गया है। यह टि डिक्री के इजराय करते समय कठिनाई उत्पन्न करेगी।

**प्रार्थना:**

अत: यह प्रार्थना की जाती है कि इस मान्य न्यायालय के द्वारा पारित डिक्री में त्रटि का सुधार करने कि कृपा करे और सम्पत्ति का विवरण वही दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जाये जो वाद पत्र में दर्ज है।

**स्थान ............ दिनांक ........... प्रार्थी/वादी……**

**द्वारा अधिवक्ता ..........**

**नोट** - शपथ पत्र संलग्न किया जाना है।

**धारा 152 सिविल प्रक्रिया संहिता निर्णय, डिक्री अथवा आदेश का संशोधन**

किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश में लिपिकिय अथवा अंकगणित की त्रुटि अथवा किसा दुर्घटनावश भूल या लोप से होने वाली त्रटि का समाधान स्वयं अपने आप अथवा किसी पक्षकार के प्रार्थना पत्र के आधार पर न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।